


IslamHouse.com



مركز الأوسول
Osoul Center
www.osoulcenter.com



Hindi
الهندية
हिंदी

नबी ﷺ की नमाज़ का तरीका

परिशिष्ट (ज़मीमा)

गाने, तस्वीर, सिगरेट नोशी, दाढ़ी मुंडाने और
मर्दों के लिए टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने से
होशियारी

संकलन

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (रहेमहुल्लाह)

मुहम्मद बिन सालेह अलउसैमीन (रहेमहुल्लाह)

अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अलजिबरीन (रहेमहुल्लाह)

अनुवादक

ज़ाकिर हुसैन वरासतुल्लाह

صلى الله
عليه
وسلم

صفة صلاة النبي

يليها:

التحذير من الغناء، والتصوير، وشرب الدخان، وحلق
اللحية، والإسبال للرجال

تأليف

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترجمة

ذاكر حسين وراثة الله

مراجعة

قطب الله محمد



Hindi
الهندية
हिंदी

© المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالربوة، ١٤٤٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ورائة الله، ذاكر حسين

صفة صلاة النبي ﷺ يليها: التحذير من الغناء والتصوير وشرب الدخان وحلق اللحية

والإسبال للرجال. اللغة الهندية . / ذاكر حسين وراثة الله . - الرياض، ١٤٤٠هـ

٦٤ ص، ١٢ سم x ١٦,٥ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٤٩-٣١-٤

١- الصلاة ٢- المعاصي والذنوب أ. العنوان

ديوي ٢٥٢.٢ ١٤٤٠/١٦٨٣

رقم الايداع: ١٤٤٠/١١٤٦٨

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٤٩-٣١-٤



This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul International Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

osoul@rabwah.sa

www.osoulcenter.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान
(कृपालु) निहायत रहम करने वाला (दयालु) है





नबी ﷺ की नमाज़ का तरीका

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وآله، وصحبه. أما

بعد :

सारी तारीफें एक अल्लाह के लिए हैं। दुखद व सलाम (रहमत व शांति) नाज़िल हो उसके बंदे और रसूल मुहम्मद तथा उनके आल व औलाद और उनके अस्थाब पर। अम्मा बा'द (तत्पश्चात):

नबी ﷺ की नमाज़ के तरीका के बयान में यह चंद मुख्तसर बातें हैं, जिन्हें मैं ने हर मुसलमान मर्द व औरत की ख़िदमत में इस ग़र्ज़ से पेश करना चाहा कि हर वह शख्स जो इन से वाकिफ़ (मुत्तलअ/सूचित) हो, नमाज़ की अदायेगी में नबी ﷺ (को अपना नमूना तथा आदर्श बना कर उन) की इक़तिदा (अनुसरण) करने की कोशिश करे। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». [رواه البخاري]

«तुम उसी तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुम ने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है» [बुखारी]

और अब कारेईन (पाठकों) की ख़िदमत में 'नबी ﷺ की नमाज़ का तरीका' पेश किया जा रहा है:



नमाज़ी अच्छी तरह वुजू करे, यानी अल्लाह तआला के फ़रमान पर अमल करते हुये हूबहू उस तरह वुजू करे जिस तरह उसने करने का हुक्म दिया है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:



﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦٠]

“ऐ ईमान वाले! जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो अपने मुँह को, और अपने हाथों को कुहनीयों समेत धो लो, और अपने सरों का मसह करो, और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो।” [अल्माइदा: 6]

और नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ» [رواه مسلم في صحيحه]

«तहारत (वुजू) के बग़ैर कोई नमाज़ कबूल नहीं होती, और ख़ियानत के माल (हराम माल) का कोई सदका कबूल नहीं होता।» [सहीह मुस्लिम]

इसी तरह नबी ﷺ ने उस शख्स से फ़रमाया जिस ने (जल्दबाज़ी करते हुये) सही ढंग से नमाज़ अदा नहीं की थी:

«إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ» . [رواه البخاري]

«जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो कामिल तरीके (पूर्णरूप) से वुजू करो।»



नमाज़ी जहाँ कहीं भी हो अपने पूरे जिस्म (शरीर) के साथ किब्ला रुख हो कर (यानी कअबा की ओर अपना चेहरा करके) फ़र्ज़ या नफ़ल जिस नमाज़ का इरादा रखता है दिल से उसकी नियत करे। जुबान से उसकी नियत न करे, क्योंकि जुबान से नियत न तो नबी ﷺ ने की और न ही आपके सहाबा किराम ﷺ ने की।

☀ नमाज़ी अगर इमाम या मुनफ़रिद (अकेला नमाज़ पढ़ने वाला)



है तो सुन्नत यह है कि वह अपने सामने सुतरा रख ले, क्योंकि नबी ﷺ ने इसका हुकम दिया है।

◉ नमाज़ में किब्ला की ओर चेहरा करना (उसकी सेहत व शुद्धता) के लिए शर्त है। अलबत्ता चंद मारुफ़ (विदित) मसअले इससे मुस्तसना (अपवादित) हैं, जो अहले इल्म (विद्वानों) की किताबों में मज़कूर (उल्लिखित) हैं।



‘अल्लाहु अक्बर’ कहते हुए तक्बीरे तहरीमा कहे और अपनी निगाह सज्दा की जगह पर रखे।



तक्बीरे तहरीमा कहते समय अपने दोनों हाथों को कंधा के बराबर या कानों की लौ के बराबर उठाये।



अपने दोनों हाथों को सीने पर इस तरह रखे कि दायाँ हाथ बायें हाथ की हथेली, कलाई तथा बाजू (बाहू) पर हो। क्योंकि वायेल बिन हुज़्र (رضي الله عنه) और कबीसा बिन हलब अत्ताई -जो कि अपने बाप (हलब (رضي الله عنه)) से रिवायत करते हैं- की हदीस से ऐसा ही साबित है।



(इसके बाद) सुन्नत यह है कि दुआए इस्तिफ़ताह (नमाज़ शुरू करने की दुआ) पढ़े। दुआए इस्तिफ़ताह यह है:

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ حَطَايَايَ كَمَا يَنْقَى الثَّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.»

उच्चारण: «अल्लाहुम्म बाइद बैनी व बैन ख़तायाय कमा बाअदत बैनल मशरिकि वलमगरिबि, अल्लाहुम्म नक्किनी मिन ख़तायाय कमा युनक्कस सौबुल अबयजु मिनद्वनसि, अल्लाहुम्मगसिलनी मिन ख़तायाय बिलमाइ वस्सलजि वलबरदि ॥»

अर्थ: «ऐ अल्लाह! तू मेरे दरमियान तथा मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसी दूरी कर दे जैसी दूरी तू ने पूरब और पच्छिम के दरमियान की है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरे गुनाहों से इस तरह पाक व साफ़ कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचेल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरे गुनाहों से पानी, बरफ़ और ओलों से धुल दे ॥» [बुख़ारी व मुस्लिम, इसको नबी ﷺ से रिवायत (वर्णन) करने वाले अबू हुरैरा رضي الله عنه हैं]

✿ और अगर चाहे तो इस दुआ की बजाय यह दुआ पढ़े:
 «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

उच्चारण: «सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक् व तबारकस्मुक् व तअ़ाला जदुदुक व ला इलाह ग़ैरुक ॥»

अर्थ: «ऐ अल्लाह! तू पाक है अपनी हम्द व सना (स्तुति) के साथ, और तेरा नाम बाबरकत (शुभ) है, तेरी शान बुलंद है, और तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं ॥»

उक्त दोनों दुआयें नबी ﷺ से साबित हैं। और अगर इन दोनों के अलावा नबी ﷺ से साबित कोई और दुआए इस्तिफ़्ताह पढ़े तो भी कोई हर्ज नहीं, बल्कि बेहतर यह है कि कभी यह दुआ पढ़े तो कभी वह दुआ, क्योंकि ऐसा करने से नबी ﷺ की मुकम्मल इत्तिबा (अनुसरण) हो जाती है।



इसके बाद

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

‘अऊजु बिल्लाहि मिनशैतानिर्रजीम’, ‘बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम’ (अर्थात ‘मैं धिक्कारे हुये शैतान से अल्लाह की पनाह (शरण) तलब करता हूँ।’ ‘शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान (कृपालु) निहायत रहम करने वाला (दयालु) है।’) पढ़ कर सूरह फ़ातिहा पढ़े। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

«उसकी नमाज़ नहीं जिसने सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी»

☀ सूरह फ़ातिहा के बाद जहरी नमाज़ों में ऊँची आवाज़ से तथा सिर्री नमाज़ों में धीमी आवाज़ से ‘आमीन’ (यानी कबूल फ़रमा) कहे। फिर कुरआन से जो पढ़ना आसान हो पढ़े। बेहतर यह है कि जोह्र, अ़म्र और इशा में औसाते मुफ़स्सल (सूरह अ़म्म से सूरह लैल तक) से पढ़े, और फ़ज्र में तिवाले मुफ़स्सल (सूरह काफ़ से सूरह मुरसलात तक) से तथा मगरिब में कभी तिवाले मुफ़स्सल से और कभी किसारे मुफ़स्सल (सूरह जुहा से सूरह नास तक) से पढ़े। क्योंकि नबी ﷺ से इसी तरह साबित है। मशरूअ (शरीअत सम्मत) यह है कि अ़म्र की नमाज़ जोह्र की नमाज़ से हल्की हो।



‘अल्लाहु अक्बर’ कहता हुवा और अपने दोनों हाथों को कंधों या कानों के बराबर तक उठाता हुवा रुकूअ करे। और रुकूअ में अपने सर को पीठ की बराबरी में कर ले तथा हाथों को घुटनों पर इस

तरह रखे कि उँगलीयाँ फैली हुई हों। और रुकूअ में इत्मीनान बरकरार रखते हुए यह दुआ पढ़े: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ‘सुब्हान रब्बियल अज़ीम’ यानी: ‘पाक है मेरा रब जो बड़ी अज़मत वाला है’। बेहतर यह है कि यह दुआ तीन बार या उस से अधिक बार पढ़े। और उक्त दुआ के साथ यह दुआ पढ़ना भी मुस्तहब है:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».

‘सुब्हानकल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिक, अल्लाहुम्मग़िफ़रली’ यानी: ‘ऐ अल्लाह हमारे रब! तू पाक है अपनी हम्द व सना के साथ, ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ कर दे।’



नमाज़ी अगर इमाम या मुनफ़रिद (अकेले नमाज़ पढ़ने वाला) है तो «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ‘समिअल्लाहु लिमन हमिदह’ (यानी: सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ़ की) कहता हुवा और अपने हाथों को कंधों या कानों की लौ के बराबरी तक उठाता हुवा रुकूअ से सर उठाये। और कौमा में (रुकूअ से उठ कर खड़े होने की स्थिति में) यह दुआ पढ़े:

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مِلءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ».

उच्चारण: «रब्बना व लकल् हम्दु हम्दन कसीरन तैयिबम मुबारकन फ़ीह, मिलअस्समावाति वलअर्ज़ि, व मिलअ मा शि‘त मिन शैम बा‘दु।»

अर्थ: «ऐ हमारे रब! तेरे ही लिए तारीफ़ है बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा, बाबरकत तारीफ़, आसमानों तथा ज़मीन के बराबर और जो कुछ तु इसके बाद चाहे उसके बराबर।»

☀ और अगर नमाज़ी उक्त दुआ के साथ निम्नोक्त (दर्ज जैल) दुआ भी मिला ले तो बेहतर है, क्योंकि बाज़ हदीसों में नबी ﷺ से इसका पढ़ना भी साबित है:

«أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُنَّا لَكَ عَبْدًا، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.»

उच्चारण: «अहलस्सनाइ वल्मज्दि, अहक्कु मा कालल् अब्दु, व कुल्लुना लक अब्दुनु, अल्लाहुम्म ला मानिअ लिमा आतैत, व ला मुतिय लिमा मनअत, व ला यनफउ जल्जदि मिनकलजहु»

अर्थ: «ऐ तारीफ़ और बुजुर्गी वाला! बंदे ने (तारीफ़ और बुजुर्गी की) जो बात कही है तू उसका सब से ज़्यादा हकदार है। और हम सब तेरे ही बंदे हैं। ऐ अल्लाह! जो तू अता (प्रदान) करे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू रोक ले उसे कोई देने वाला नहीं। और किसी मालदार को उसकी मालदारी तेरे (अज़ाब) से बचा नहीं सकती»

☀ और अगर नमाज़ी मुक्तदी है तो रुकूअ से सर उठाते समय ('समिअल्लाहु लिमन हमिदह' कहे बग़ैर सिर्फ़) 'रब्बना व लकल् हम्द---' आख़िर तक कहे।

और मुस्तहब है कि हर नमाज़ी (क़ौमा में यानी रुकूअ से उठ कर खड़े होने के बाद) उसी तरह अपने हाथ सीने पर रखे जिस तरह रुकूअ से पहले क़ियाम की हालत में रखा था। क्योंकि वायेल बिन हुज़्र तथा सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस नबी ﷺ से इस अमल के साबित होने पर दलालत करती है।



अल्लाहु अक्बर' कहता हुवा सज्दे में जाये। अगर आसानी

हो तो (सज्दा में जाते हुए) घुटनों को हाथों से पहले ज़मीन पर रखे। और अगर ऐसा करना उस पर दुश्वार (कठिन) हो तो हाथों को घुटनों से पहले ज़मीन पर रखे। सज्दे में दोनों पैर तथा दोनों हाथ की उँगलियों को क़िवला रुख़ रखे और हाथों की उँगलियों को बाहम (परस्पर) मिला कर फैला ले। सज्दा सात आ'ज़ा (अंगों) पर होना चाहिए, और वह सात अंग यह हैं: नाक समेत पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर की उँगलियों का अंदरूनी हिस्सा। और सज्दे में यह दुआ पढ़े: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» 'सुब्हान रब्बियल अला' यानी: 'पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है'। यह दुआ तीन बार या उस से अधिक बार पढ़े।

☀ और उक्त दुआ के साथ यह दुआ पढ़ना भी मुस्तहब है:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.»

'सुब्हानकल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिक, अल्लाहुम्मग़िफ़रली' यानी: 'ऐ अल्लाह हमारे रब! तू पाक है अपनी हम्द के साथ, ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ कर दे।' और सज्दे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे, क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعِظْمُوا فِيهِ الرَّبِّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ

أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». [رواه مسلم]

«जहाँ तक रुकूअ का तअल्लुक है तो उसमें अपने रब की अज़मत व बड़ाई बयान करो, लेकिन सज्दे में पूरी कोशिश से (ख़ूब गिड़गिड़ा कर) दुआ करो, तो ज़्यादा उम्मीद है कि तुम्हारी दुआएं क़बूल की जायें» {मुस्लिम}

रसूलुल्लाह ﷺ ने और भी फ़रमाया:

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». [رواه مسلم]



«बंदा अपने रब के सब से ज़्यादा करीब उस वक़्त होता है जब वह सज्दे में होता है, इस लिए तुम (सज्दे में) ख़ूब दुआ़ किया करो» {मुस्लिम}

सज्दे में नमाज़ी अल्लाह तआला से अपने लिए तथा अपने अलावा दूसरे मुसलमानों के लिए दुनिया व आख़िरत की भलाई का सवाल करे, चाहे फ़र्ज नमाज़ पढ़ रहा हो या नफ़ल। और (सज्दे की हालत में) वह अपने दोनों बाजू (बाहु) को पहलू से, पेट को रानों से और रानों को पिंडलीयों से दूर रखे। और कुहनीयों को ज़मीन से उठाये रखे। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«اعْتَدُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ». [متفق عليه]

«सज्दे इत्मीनान से करो, और तुम में से कोई शख़्स अपनी कुहनीयों को कुत्ते के बिछाने की तरह (ज़मीन पर) न बिछाये» {बुख़ारी व मुस्लिम}



‘अल्लाहु अक्बर’ कहता हुवा सज्दे से सर उठाये और वार्ये पैर को बिछा कर उस पर बैठ जाये, और दायें पैर को खड़ा रखे, और अपने हाथों को रानों तथा घुटनों पर रख कर यह दुआ़ पढ़े:

«رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، وَاجْبُرْنِي».

उच्चारण: «रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, अल्लाहुम्मग़फ़िरली, वरहमनी, वहदिनी, वरज़ुकनी, व अ़ाफ़िनी, वज़बुरनी»

अर्थ: «ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम

फ़रमा (दया कर), मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क अ़ता (जीविका प्रदान) कर, मुझे अ़फ़ियत (कल्याण) में रख और मेरे नुक़सान पूरे फ़रमा ۞

रुकूअ के बाद के (क़ौमा में) इत्मीनान की तरह यह जल्सा (दो सज्दे के दरमियान बैठक) भी बिल्कुल इत्मीनान व प्रशांति से करे यहाँ तक कि हर जोड़ अपनी जगह को वापस आ जाये, क्योंकि नबी ﷺ रुकूअ के बाद क़ियाम (खड़ा होने) को तथा दो सज्दे के दरमियान जल्सा को लम्बा करते थे।



‘अल्लाहु अक्बर’ कहता हुवा दूसरा सज्दा करे और इस में भी वही सब करे जो पहले सज्दा में किया था।



‘अल्लाहु अक्बर’ कहता हुवा सज्दा से सर उठाये तथा जिस तरह दोनों सज्दों के दरमियान बैठा था उसी तरह थोड़ी देर के लिए बैठ जाये। इस बैठक को ‘जल्सये इस्तिराहत’ कहते हैं, जो उलमा के दो क़ौल में से सही क़ौल के अनुसार मुस्तहब है। और अगर उसे छोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं। जल्सये इस्तिराहत में न कोई ज़िक्र है और न कोई दुआ। फिर दूसरी रकअत के लिए अगर मुम्किन हो तो अपने घुटनों पर टेक लगा कर खड़ा हो जाये, और अगर घुटनों पर टेक लगा कर उठने में दुशवारी हो तो अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रख कर उठे। खड़ा होने के बाद सूरह फ़ातिहा फिर फ़ातिहा के बाद कुरआन से जो पढ़ना आसान हो पढ़े, जैसे कि पहली रकअत के बयान में बात गुज़र चुकी है।

मुक्तदी के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपने इमाम से आगे बढ़े



(यानी इमाम के करने से पहले ही कोई काम करे)। क्योंकि नबी ﷺ ने अपनी उम्मत को इस से डराया तथा सावधान किया है। और इमाम की मुवाफ़क़त करना (यानी इमाम के साथ साथ करना) मकरूह है। सुन्नत यह है कि मुक़तदी का फ़ेल ताख़ीर (विलंब) किये बग़ैर इमाम के फ़ेल के बाद तथा उनकी आवाज़ ख़त्म होने के बाद हो। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا». [متفق عليه]

«इमाम को इसी लिए मुक़र्रर किया गया है कि उसकी पैरवी की जाये, अतः तुम उस से इख़्तिलाफ़ न करो (अर्थात कोई भी अमल उसके आगे या पीछे न करो)। जब वह 'अल्लाहु अक्बर' कहे तो तुम भी 'अल्लाहु अक्बर' कहो। और जब वह रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो। और जब वह 'समिअल्लाहु लिमन हमिदह' कहे तो तुम 'रब्बना व लकल् हम्द' कहो। और जब वह सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो ॥ {बुख़ारी व मुस्लिम}



अगर नमाज़ दो रकअत वाली हो जैसे फ़ज़्र, जुमुअ़ा तथा ईद की नमाज़ें, तो दूसरे सज्दे से सर उठाने के बाद तशहूद में बैठ जाये, और वह इस तरह कि:

नमाज़ी अपना दायाँ पैर खड़ा रखे और बायाँ पैर ज़मीन पर बिछा कर उस पर बैठ जाये, और दायें हाथ को दायें रान पर रख कर तर्जनी (शहादत) उंगली के अलावा हाथ की सारी उंगलियों को मोड़

ले, और अल्लाह के ज़िक्र के वक़्त तथा दुआ़ा के समय उस (तर्जनी) से तौहीद की ओर इशारा करता रहे।

और अगर नमाज़ी अपने दायें हाथ की कनिष्ठिका और अनामिका (ख़िनसिर और बिन्सिर यानी किनारे की दोनों उंगलीयों) को मोड़ ले, और अंगूठे को मध्यमा (बीच वाली) उंगली से मिलाकर हलका (दायरा) बना ले और शहादत की उंगली (तर्जनी) से इशारा करता रहे तो भी ठीक है।

उक्त दोनों तरीक़े सहीह हैं, क्योंकि दोनों नबी ﷺ से साबित तथा प्रमाणित हैं। अलबत्ता बेहतर यह है कि कभी इस तरीक़े पर और कभी उस तरीक़े पर अमल किया जाये।

और अपना बायाँ हाथ बायें रान पर रख कर इस जल्सा (बैठक) में तशहूद पढ़े, और वह यह है:

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

“अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबीय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।”

«सारी जुबानी, बदनी और माली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ऐ नबी! आप पर सलामती नाज़िल हो, और अल्लाह की रहमतें तथा उसकी बरकतें अवतारित हो, और सलामती हो हम पर और

अल्लाह के नेक बंदों पर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजने योग्य नहीं है, और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसके बंदे और उसके रसूल हैं ॥»

और फिर यह दुखद पढ़े:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

“अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद।”

«ऐ अल्लाह! कृपा (रहमत) भेज मुहम्मद पर और मुहम्मद के आल (परिवार) पर जैसे रहमत (कृपा) भेजी तू ने इब्राहीम पर और इब्राहीम के आल (परिवार) पर, बेशक तू महिमा और गुणगान के योग्य (बुजुरगी और तारीफ़ के लायेक) है। ऐ अल्लाह! बरकत भेज मुहम्मद पर और मुहम्मद के परिवार पर, जैसे बरकत भेजी तू ने इब्राहीम पर और इब्राहीम के परिवार पर, बेशक तू महिमा और गुणगान के योग्य (बुजुरगी और तारीफ़ के लायेक) है ॥»

☀ इसके बाद चार चीज़ों से अल्लाह की पनाह (शरण) तलब करे, यानी यह दुआ पढ़े:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»

«अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबिक मिन अज़ाबि जहन्नम, व मिन अज़ाबिल कब्रि, व मिन फ़ितनतिल मह्या वलूममात, व मिन फ़ितनतिल मसीहिदज्जाल।»

«ऐ अल्लाह! तेरी पनाह तथा शरण चाहता हूँ जहन्नम के अज़ाब से, और कब्र के अज़ाब से, और जिंदगी तथा मौत के फ़ितने से और मसीह दज्जाल के फितने से।»

☀ फ़िर दुनिया व आख़िरत की भलाई तथा कल्याण में से जो चाहे उसके लिए अल्लाह से दुआ करे। अगर अपने वालिदैन (पिता माता) के लिए या उनके अलावा दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करे तो भी कोई मुज़ायफ़ा (हर्ज) नहीं, चाहे नमाज़ फ़र्ज़ हो या नफ़्त। क्योंकि नबी ﷺ ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه को तशहहुद सिखलाते समय फ़रमाया था:

«ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو». وفي لفظ آخر: «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ».

«फ़िर वह उन दुआओं का चयन करके अल्लाह से दुआ करे जो उसके नज़दीक पसंदीदा हों।» और एक दूसरी हदीस के शब्द यह हैं: «फ़िर अल्लाह से जो भी माँगना चाहे माँगें।»

आपका यह फ़रमान आ़म है, जो कि हर उस दुआ को शामिल है जो बंदे के लिए दुनिया और आख़िरत में मुफ़ीद (लाभदायक) हो।

इसके बाद ‘अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह’ कहता हुवा दायें तरफ़ सलाम फेरे, और फिर ‘अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह’ कहता हुवा बायें तरफ़ सलाम फेरे।





14

अगर नमाज़ तीन रकअत वाली है जैसे मगरिब की नमाज़, या चार रकअत वाली है जैसे जोहर, अन्न और इशा की नमाज़ें, तो दूसरी रकअत के तशहहुद में 'अत्तहिय्यात' और दुरुद (यानी अल्लाहुम्म सल्लि अला ---) पढ़ने के बाद 'अल्लाहु अक्बर' कहता हुवा घुटनों पर टेक लगा कर सीधा खड़ा हो जाये, और दोनों हाथों को कंधों के बराबर तक उठा कर (रफ़ए यदैन करके) पहले की तरह उन्हें सीने पर बाँध ले, और सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़े।

✿ और अगर कभी कभार जोहर की तीसरी और चौथी रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई दूसरी सूरह (या कुछ आयतें) भी पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं। क्योंकि अबू सईद खुदरी رضي الله عنه से मरूवी (वर्णित) हदीस नबी ﷺ से इस अमल के साबित होने पर दलालत करती है।

और अगर पहली तशहहुद में 'अत्तहिय्यात' के बाद दुरुद पढ़ना छोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पहली तशहहुद में इसका पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि मुस्तहब है।

फिर मगरिब की तीसरी रकअत के बाद तथा जोहर, अन्न और इशा की चौथी रकअत के बाद (यानी आखिरी तशहहुद में) 'अत्तहिय्यात' पढ़े, फिर नबी ﷺ पर दुरुद पढ़े, और जहन्नम के अज़ाब, क़ब्र के अज़ाब, ज़िंदगी तथा मौत के फ़ितने और दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह माँगे। फिर बकसरत (ज़्यादा से ज़्यादा) दुआ करे। और इस मक़ाम (स्थान) पर तथा इसके अलावा दूसरे मक़ाम पर यह दुआ पढ़ना मशरूअ (शरीअत सम्मत) है:

«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

“रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या हसनतँव व फ़िल्आख़िरति हसनतँव व किना अज़ाबन्नार।”

«ऐ हमारे रब! तू हमें दुनिया व आख़िरत में भलाई तथा कल्याण प्रदान कर, और आग के अज़ाब से बचा ले।» क्योंकि अनस ﷺ से मरूवी हदीस में है, उन्होंने कहा:

كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

अर्थात् नबी ﷺ ज़्यादातर यह दुआ पढ़ा करते थे: “रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या हसनतँव व फ़िल्आख़िरति हसनतँव व किना अज़ाबन्नार।” जैसाकि इस बारे में तफ़्सील दो रकअत वाली नमाज़ के बयान में गुज़र चुकी है।

❁ लेकिन इस बैठक में (यानी दो तशहूद वाली नमाज़ों की दूसरी तशहूद में) तवरूक करके बैठे (यानी बायाँ पैर दायें पैर के नीचे रख कर अपनी सुरीन (नितंब) को ज़मीन पर रखे, और दाहना पैर खड़ा रखे)। क्योंकि अबू हुमैद ﷺ से मरूवी (वर्णित) हदीस में नबी ﷺ की बैठक का यही तरीका बयान किया गया है।

इसके बाद ‘अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह’ कहता हुआ दायें तरफ़ सलाम फेरे, और फिर ‘अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह’ कहता हुआ बायें तरफ़ सलाम फेरे।

❁ सलाम फेरने के बाद तीन बार ‘أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ’ ‘अस्तग़फ़िरुल्लाह’



अर्थात 'मैं अल्लाह से मग़फ़िरत (क्षमा) तलब करता हूँ' कहे।
फिर निम्नलिखित दुआयें पढ़ें:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ».

“अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम, व मिन्कस्सलाम, तबारकूत या ज़लूजलालि वलूद्क्राम। ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दहु ला शरीक लहु, लहुलमुल्कु व लहुल्हम्दु, व हुव अला कुल्लि शैइन कदीर। ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्म ला मानिअ लिमा आतैत, व ला मुअ्तिय लिमा मनअत, व ला यन्फ़उ ज़ल्जदि मिन्कल्जद। ला इलाह इल्लल्लाहु, व ला नअ्बुदु इल्ला इय्याहु, लहुन्निअमतु व लहुल्फ़ज़्लु व लहुस्सनाउल हसन। ला इलाह इल्लल्लाहु मुख़लिसीन लहुद्दीन व लौ करिहल काफ़िरून।”

«ऐ अल्लाह! तू तमाम ऐबों से सुरक्षित तथा महफूज़ है, और तुझ ही से सलामती है। ऐ बुजुर्गी और इज़्ज़त वाले! तू बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ्बूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही और उसी के लिए तारीफ़ है, और वह हर चीज़ पर कादिर (क्षमताशील) है। गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ और नेकी करने की कुव्वत व शक्ति अल्लाह ही से हासिल होती है। ऐ अल्लाह! तू जो चीज़ प्रदान करे उसको कोई रोकने वाला नहीं, और जिसको तू रोक ले उसको कोई देने वाला नहीं, किसी मालदार को उसकी मालदारी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती और तुझ से बचा नहीं सकती। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ्बूद नहीं, हम सिर्फ़

उसी की इबादत करते हैं, उसी के लिए नेमत, उसी के लिए फ़ज़ल व कृपा तथा उसी के लिए अच्छी तारीफ़ व स्तुति सज़ावार (लाइक़ व योग्य) है। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ़बूद नहीं, हम उसके लिए अपने दीन को ख़ालिस (इत्ताअत व फ़र्माबर्दारी को अविमिश्र) करने वाले हैं, अगरचे (यद्दपि) काफ़िरो को नापसंद हो ॥

☉ और तैंतीस (३३) मरतबा «سُبْحَانَ اللَّهِ» ‘सुब्हानल्लाह’ यानी ‘मैं अल्लाह की पाकीज़गी व पवित्रता बयान करता हूँ’ और तैंतीस मरतबा «الْحَمْدُ لِلَّهِ» ‘अल्हम्दु लिल्लाह’ यानी ‘सब तारीफ़ व स्तुति अल्लाह के लिए है’ तथा तैंतीस मरतबा «اللَّهُ أَكْبَرُ» ‘अल्लाहु अक्बर’ यानी ‘अल्लाह सबसे बड़ा तथा सर्वमहान है’ कहे, और सौ की गिनती पूरी करते हुए पढ़े:
 «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

“ला इलाह इल्लल्लाहु व्हदहु ला शरीक लहु, लहुल्मुल्कु व लहुल्हम्दु, व हुव अला कुल्लि शैइन कदीर।”

«अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ़बूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही और उसी के लिए तारीफ़ है, और वह हर चीज़ पर कादिर है ॥»

और हर (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद ‘आयतुल कुर्सी’, सूरह ‘इख़लास’, सूरह ‘फलक़’ और सूरह ‘नास’ पढ़े।

आयतुल कुर्सी

«اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿[البقرة: 255]

“अल्लाह तआला ही सत्य माबूद है, जिसके अतिरिक्त कोई माबूद नहीं जो जीवित है और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊँघ आये न नींद, उसके आधीन ज़मीन व आस्मान की सभी चीज़ें हैं, कौन है जो उसकी इजाज़त के बिना उसके सामने सिफ़ारिश कर सके, वह जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वे उसके इल्म (ज्ञान) में से किसी चीज़ का इहाता (आयत्त) नहीं कर सकते मगर जितना वह चाहे, उसकी कुर्सी की वुसूअत ने ज़मीन व आस्मान को घेर रखा है, और अल्लाह तआला उनकी हिफ़ाज़त से न थकता और न उकताता है, वह तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है।” (सूरह अल्बकरा: २५५)

सूरह ‘इख़लास’

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝۳﴾ [الإخلاص: १-३]

“① आप कह दीजिये कि वह अल्लाह एक (ही) है। ② अल्लाह बेनियाज़ (अमुखापेक्षी) है। ③ न उससे कोई पैदा हुआ और न वह किसी से पैदा हुआ। ④ और न कोई उसका हम्सर (समकक्ष) है।”

सूरह ‘फलक’

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: १-४]

“① आप कह दीजिये कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। ② हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की है। ③ और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा फैल जाये। ④ और गिरह (लगा कर उन) में फूँकने वालीयों की बुराई से (भी)। ⑤ और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वह हसद करे।”

सूरह ‘नास’

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ سَرِّ الْأَسْوَابِ ④
الْحَنَافِيسِ ⑤ الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

[الناس: १-६]

“① आप कह दीजिये कि मैं लोगों के प्रभु की पनाह में आता हूँ। ② लोगों के मालिक की (और)। ③ लोगों के मअबूद की (पनाह में)। ④ वसवसा डालने वाले पीछे हट जाने वाले की बुराई से। ⑤ जो लोगों के सीने में वसवसा डालता है। ⑥ (चाहे) वह जिन्न में से हो या इंसान में से।”

फ़ज़्र और मग़रिब की नमाज़ के बाद उक्त तीनों सूत्रों का तीन तीन बार पढ़ना मुस्तहब है, क्योंकि इस सिलसिले में नबी ﷺ से सहीह हदीसे वारिद हैं। इसी तरह फ़ज़्र तथा मग़रिब की नमाज़ के बाद साबिका अज़कार पढ़ने के बाद निम्नलिखित ज़िक्र का दस मरतबा पढ़ना मुस्तहब है:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

“ला इलाह इल्लल्लाहु व्हदहु ला शरीक लहु, लहुल्लमुल्कु व लहुल्लहम्दु, युह्यी व युमीतु, व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर।”

«अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ़बूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही और उसी के लिए तारीफ़ है, वही जिलाता तथा मारता है, और वह हर चीज़ पर कादिर (क्षमताशील) है ॥»

☀ इमाम होने की स्थिति में तीन मरतबा 'अस्तग़फ़िरुल्लाह' कहने के बाद तथा 'अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम, व मिन्कस्सलाम, तबारक़त या ज़लज़लालि वलज़ज़राम' पढ़ने के बाद मुक़्तदीयों की तरफ़ मुड़ जाये और उनके रू बरू (आमने सामने) हो जाये। फिर मज़क़ूरा (पूर्वोक्त) अज़कार पढ़े। जैसाकि नबी ﷺ की बहुत सी हदीसों इस पर दलालत करती हैं, उन्हीं में से आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी 'सहीह' में वर्णना (रिवायत) किया है। वाज़िह रहे कि इन तमाम अज़कार का पढ़ना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं।

☀ हर मुसलमान मर्द व औरत के लिए ज़ोहूर की नमाज़ से पहले चार रकअ़त तथा उसके बाद दो रकअ़त, मग़रिब की नमाज़ के बाद दो रकअ़त, इशा की नमाज़ के बाद दो रकअ़त और फ़ज़्र की नमाज़ से पहले दो रकअ़त पढ़ना मुस्तहब है। यह कुल बारह (१२) रकअ़तें हैं, जिन्हें 'सुनने रवातिब' (सुन्नेत मुअक्कदा) के नाम से याद किया जाता है। क्योंकि नबी ﷺ मुक़ीम होने की हालत में (मुसाफ़िर न होने की स्थिति में) इन्हे पाबंदी से पढ़ा करते थे।

☀ रही बात सफ़र की तो नबी ﷺ उस में सिवाय फ़ज़्र की सुन्नत के और वित्र के (उक्त सुनने रवातिब में से) कोई

सुन्नत नहीं पढ़ते थे। आप ﷺ इन दोनों की हज़र और सफ़र दोनों हालत में (फ़ज़्र की सुन्नत और वित्र की निवास तथा यात्रा उभय अवस्था में) पाबंदी फ़रमाते थे। और आप ﷺ में हमारे लिए उम्दा नमूना (उत्तम आदर्श) है। क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: २१]

“निश्चय तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना (मौजूद) है।”
[अल्अहज़ाब: २१]

और रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». [رواه البخاري]

«तुम उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुम ने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है» {बुखारी}

बेहतर यह है कि उक्त सुनने रवातिब (सुन्नते मुअक्कदा) और वित्र की नमाज़ घर में पढ़ी जाये। लेकिन अगर कोई मस्जिद में पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं। क्योंकि नबी ﷺ का फ़रमान है:

«أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ». [متفق على صحته]

«सिवाय फ़र्ज नमाज़ के आदमी की सब से बेहतर नमाज़ उसके घर की नमाज़ है» {इस हदीस की सेहहत (शुद्धता) पर इत्तिफ़ाक है}

☀ उक्त बारह रकअत सुनने रवातिब की पाबंदी जन्नत में दाख़िल होने के अस्बाब (कारणों) में से है। उम्मे हबीबा ؓ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना:

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». [رواه مسلم]

«जो मुसलमान बंदा अल्लाह के लिए रोज़ाना (प्रतिदिन) फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बारह रकअत नफ़ल (सुनने रवातिब) पढ़ता है, तो अल्लाह तअ़ाला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है।» {मुस्लिम}

☀ और अगर अ़स्र की नमाज़ से पहले चार रकअत, मग़रिब की नमाज़ से पहले दो रकअत और इशा की नमाज़ से पहले दो रकअत पढ़ ले तो और बेहतर है, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ». [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، وإسناده صحيح]

«अल्लाह तअ़ाला उस शख़्स पर रहम फ़रमाये जो अ़स्र की नमाज़ से पहले चार रकअत अदा करता है।» {इसे अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है, इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन और इब्ने खुज़ैमा ने सहीह करार दिया है, और इसकी सनद-सूत्र सहीह है।}

रसूलुल्लाह ﷺ ने एक दूसरी हदीस में फ़रमाया:
«بَيْنَ كُلِّ أَدَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَدَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».
[رواه البخاري]

«हर दो अज़ानों (अज़ान और इक़ामत) के दरमियान नमाज़ है। हर दो अज़ानों (अज़ान और इक़ामत) के दरमियान नमाज़ है।» फिर तीसरी बार में आप ﷺ ने फ़रमाया: «जो पढ़ना चाहे।» {बुख़ारी}

☀ और अगर ज़ोहर के बाद चार रकअत तथा उस से पहले

चार रकअत पढ़े तो भी ठीक है। उम्मे हबीबा رضي الله عنها से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को फरमाते हुये सुना: «مَنْ حَافِظَ عَلَىٰ أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ النَّارِ». [رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح]

«जो शख्स ज़ोहर (के फ़र्जों) से पहले चार रकअतों की और ज़ोहर के बाद चार रकअतों की हिफ़ाज़त करेगा (उन्हें हमेशा पढ़ेगा), तो अल्लाह तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम फ़रमा देगा» [इसे इमाम अहमद और अहले सुन्नन ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है]

मतलब यह है कि ज़ोहर के बाद सुन्नते रातिबा (सुन्नते मुअक्कदा) से ज़्यादा दो रकअत और पढ़ ले। क्योंकि अस्ल सुन्नते रातिबा की संख्या ज़ोहर से पहले चार है और उसके बाद दो ही रकअत है। अतः अगर ज़ोहर के बाद दो रकअत का इज़ाफ़ा करे (दो रकअत ज़्यादा पढ़े), तो उम्मे हबीबा رضي الله عنها की हदीस में मज़कूर फ़ज़ीलत (उल्लिखित मर्यादा) का हक़दार हो जायेगा।

अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ (प्रेरणा) देने वाला है। अल्लाह की रहमत और सलामती नाज़िल हो हमारे नबी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर, और आपके आल व औलाद तथा आपके सहाबियों पर, और क़ियामत तक आपकी सच्ची पैरवी करने वालों पर। आमीन।





जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने का वुजूब (अनिवार्यता)

31

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ की तरफ़ से यह पैग़ाम हर उस मुसलमान के नाम जो इसके कायेल (जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने के वुजूब व अनिवार्यता के समर्थक) हैं, अल्लाह उन्हें उस चीज़ की तौफ़ीक़ दे जिस में उसकी रिज़ा व खुशनूदी (संतुष्टि) है, और मेरा तथा उनका उन लोगों के रास्ते पे चलने का इतिज़ाम व व्यवस्था कर दे जो उससे डरते हैं तथा उसका तक़वा अख़्तियार करते हैं। आमीन।

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अम्मा बा'द:
(आप लोगों पर सलामती तथा अल्लाह की रहमत व बरकत नाज़िल हो। तत्पश्चातः)

मुझे यह बात पहुँची है कि बहुत से लोग जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने में कभी कभी सुस्ती व काहिली करते हैं। और दलील में कुछ ऐसे उलमा की राय पेश करते हैं जिन्होंने इस मामले में आसानी तथा नरमी बरती है। अतः लोगों के सामने इस विषय की अज़मत व ख़तरनाकी (महत्व व संगीनी) बयान कर देना मैं ने अपना फ़र्ज़ समझा।

किसी मुसलमान के लिए उचित नहीं कि वह उस विषय को हेच व हक़ीर समझे (तुच्छ ज्ञान करे) जिसकी शान व अज़मत (महत्व व गुरुत्व) अल्लाह तआला ने अपनी किताब 'कुरआन मजीद' में, और उसके रसूल मुहम्मद ﷺ ने अपनी हदीसों में बयान की हो।

अल्लाह तआला ने अपनी किताब में नमाज़ का बारबार ज़िक्र फ़रमाया, और उसकी शान व अज़मत को बयान फ़रमाते हुए उसकी पाबंदी करने तथा जमाअत के साथ उसे अदा करने का हुक्म दिया है। और यह बताया है कि उसकी अदायेगी में काहिली व सुस्ती करना मुनाफ़िकों की सिफ़ात (द्वयवादीयों के गुणों) में से है। अल्लाह तआला ने अपनी किताब में फ़रमाया:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْاُولَىٰ وَفُؤِمُوا لِلَّهِ قَنِينًا﴾ [البقرة: २३८]

“नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो, विशेषकर मध्यवाली (खुसूसन दरमियानी वाली) नमाज़ की। और अल्लाह के लिए नम्रता पूर्वक (बाअदब) खड़े रहा करो।” {अल्बकरा: २३८}

भला बतायें तो सही कि बंदे की पाबंदी के साथ नमाज़ की अदायेगी और उसकी निगाह में नमाज़ की अज़मत व महत्व का कैसे पता चलेगा अगर वह अपने भाईओं के साथ नमाज़ अदा करने से पीछे रहे और उसकी शान व अज़मत को हेच व हकीर समझे?! दूसरी जगह अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ४३]

“और नमाज़ अदा करो तथा ज़कात दो और रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ करो।” {अल्बकरा: ४३}

उक्त आयत जमाअत में नमाज़ पढ़ने के वाजिब होने की तथा नमाज़ीयों के साथ नमाज़ में शरीक होने की दलील है। अगर आयत का अर्थ सिर्फ़ नमाज़ कायम करना ही होता, तो आयत के अख़ीर में इस टुकड़े ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ यानी “और रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ करो।” का उल्लेख अनर्थक (ज़िक्र बेमकसद) होता और आयत

के शुरू तथा अंत के भाग में कोई संगति (मुनासबत) बाकी न रह जाती, क्योंकि नमाज़ कायम करने का हुक्म तो आयत के शुरू भाग में मौजूद है, और वह है ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ यानी “नमाज़ कायम करो।”

अल्लाह तआला ने और फ़रमाया:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْفُخَ طَافِكَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَافِكَةً أُخْرَى لَعَلَّ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102]

“और जब आप उनमें हों और उनके लिए नमाज़ खड़ी करें तो चाहिए कि उनकी एक जमाअत आपके साथ हथियार लिये खड़ी हो, फिर जब यह सज्दा कर चुकें तो यह हट कर तुम्हारे पीछे आ जायें, और दूसरी जमाअत जिसने नमाज़ नहीं पढ़ी वह आ जाये और आपके साथ नमाज़ अदा करे, और अपना बचाव तथा अपना हथियार लिये रहे।” {अन्सिा: 902}

अल्लाह तआला ने जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने को युद्धावस्था (हालते जंग) में वाजिब करार दिया, तो शांतिपूर्ण अवस्था (हालते अम्न) में क्योंकर वाजिब न होगी?!

अगर किसी को जमाअत के साथ नमाज़ न अदा करने की इजाज़त होती तो रणक्षेत्र (मैदाने जंग) में दुश्मनों से मुकाबला करने वाले तथा उनके आक्रमण (हमलों) के घेरे में आने वाले इस बात के ज़्यादा हक़दार बनते कि उनको जमाअत के साथ नमाज़ न अदा करने की इजाज़त दी जाये। और जब ऐसा नहीं हुआ, तो पता चला कि जमाअत के साथ नमाज़ अदा करना महत्वपूर्ण कर्तव्यों (अहम तरीन वाजिबात) में से है, और यह कि उससे पीछे रहना किसी के लिए जायज़ नहीं है।

☀ बुख़ारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी (वर्णित) है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ، ثُمَّ أَمُرُ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ».

«निश्चय मैं ने इरादा किया कि मैं नमाज़ की इक़ामत का हुक्म दे दूँ, और फिर एक आदमी को हुक्म दूँ कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दे, फिर मैं अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जिनके साथ लकड़ियों के गट्टे हों ले कर उन लोगों के पास जाऊँ जो नमाज़ में हाज़िर नहीं होते हैं, अतः मैं उन समेत उनके घरों को आग लगा दूँ।»

☀ सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा:

«لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مَنَافِقٌ عِلِمَ نِفَاقَهُ، أَوْ مَرِيضٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيْمَشِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ».

«और मैं ने अपने लोगों का यह हाल देखा कि नमाज़ से वही पीछे रहता जो खुल्लम खुल्ला मुनाफ़िक (प्रकाश्य बहुमुखी) या बीमार होता। और अगर बीमार शख्स भी चलने पर कादिर (सक्षम) होता, तो दो आदमीयों के सहारे नमाज़ में हाज़िर होता।»

☀ उन्होंने मज़ीद (अधिक) फ़रमाया:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنْنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَدَّنُ فِيهِ».

«निश्चय रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें हिदायत के तरीके सिखलाये, और हिदायत के तरीकों में से उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना भी है जिस में अज़ान दी जाती है।»

☀ और सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه से इस तरह भी मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा:

«مَنْ سَرَهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يَنَادِي بِهِنَ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنْنَ الْهَدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهَدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يَصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهْرَ، ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحِطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ».

«जिस शख्स को यह बात पसंद है कि कल को वह मुसलमान बन कर अल्लाह से मिले, तो उसको चाहिए कि वह इन नमाज़ों की उस जगह हिफ़ाज़त करे जहाँ उनके लिए अज़ान दी जाये (यानी मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ अदा करे)। इस लिए कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी के लिए हिदायत के तरीके मुकर्रर फ़रमाये हैं। और यह नमाज़ें भी हिदायत के तरीकों में से हैं। और अगर तुम नमाज़ें अपने घरों में पढ़ोगे, जिस तरह यह पीछे रहने वाला अपने घर में नमाज़ पढ़ता है, तो तुम अपने नबी की सुन्नत छोड़ दोगे। और अगर तुम ने अपने नबी की सुन्नत छोड़ दी, तो यकीनन गुमराह हो जाओगे। और जो भी आदमी अच्छी तरह वुजू करके इन मस्जिदों में से किसी मस्जिद में जाने का इरादा करे, तो अल्लाह तआला उसके हर क़दम के बदले एक एक नेकी लिखता है, और उसका एक दर्जा बुलंद फ़रमाता है तथा उसका एक गुनाह माफ़ कर देता है। और मैं ने तो अपने लोगों का यह हाल देखा है कि नमाज़ से वही पीछे रहता जो खुल्लम खुल्ला मुनाफ़िक् होता। और कभी तो (बीमार) आदमी को दो आदमीयों के सहारे लाया जाता और सफ़ (क़तार) में खड़ा कर दिया जाता ॥»

☀ और सहीह मुस्लिम ही में अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी है, वह फ़रमाते हैं:

أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَلْتَمُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهَلْ لِي رُحْصَةٌ أَنْ أَصْلِيَ فِي بَيْتِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ».

कि एक अंधा आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं जो मस्जिद तक ले आया करे, तो क्या मेरे लिए छूट (रुख़सत) है कि मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ लूँ? तो नबी ﷺ ने उससे पूछा: «क्या तुम नमाज़ की अज़ान सुनते हो?» उसने कहा: हाँ। आप ﷺ ने फ़रमाया: «फिर उसका जवाब दो या क़बूल करो (यानी मस्जिद ही में आ कर नमाज़ पढ़ो)»

इनके अलावा और बहुत सारी हदीसों हैं जो जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के वुजूब (अनिवार्यता) पर तथा उसे अल्लाह के उन घरों में जिनके बुलंद करने तथा जिन में अपने नाम की याद का अल्लाह ने हुक्म दिया है कायम करने पर दलालत करती हैं।

अतः हर मुसलमान की यह ज़िम्मेदारी है कि वह इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखे, इसके लिए अग्रगामी (पेश पेश) रहे और अपने बच्चों, घर वालों, पड़ोसीयों तथा तमाम मुसलमान भाईओं को इसकी नसीहत व वसीयत करे। ताकि अल्लाह और उसके रसूल के आज्ञा का पालन (हुक्म की तामील) हो, और अल्लाह तथा उसके रसूल की निषेधकृत वस्तुओं (मना करूदा चीज़ों) से बच सके, और उन मुनाफ़िकों की मुशाबहत (कपटाचारीयों की अनुरूपता) से दूर अवस्थान कर सकें जिन्हें अल्लाह तआला ने जघन्य गुणों से गुणान्वित (मज़मूम

सिफ़्तों से मौसूम) किया है। और नमाज़ से सुस्ती तथा लापरवाही करना उनके जघन्यतर गुणों (बद तरीन सिफ़्तों) में से एक है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لِآلِ هَؤُلَاءِ وَلَا لِآلِ هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢-١٤٣]

“निःसंदेह मुनाफ़िक लोग अल्लाह तआला से चालबाज़ीयाँ कर रहे हैं, और वह उन्हें उस चालबाज़ी का बदला देने वाला है। और जब वह नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो बड़े आलस्य की स्थिति (बड़ी काहिली की हालत) में खड़े होते हैं, सिर्फ़ लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह की याद बस नाम मात्र (बराये नाम) करते हैं। वह बीच में लटके डगमगा रहे हैं, न पूरे उनकी तरफ़, न सहीह तौर पर इनकी तरफ़। और जिसे अल्लाह तआला भटका दे, तो तू उसके लिए कोई रास्ता नहीं पायेगा।” {अन्निसा: १४२-१४३}

जमाअत के साथ नमाज़ अदा करना इस लिए भी वाजिब है कि उससे पीछे रहना नमाज़ को कुल्ली तौर पर (सिरे से) छोड़ देने के बड़े कारणों में से एक कारण है (यानी अज़ीम अस्बाब में से एक सबब है)। और यह बात मालूम है कि नमाज़ का छोड़ना कुफ़्र, गुमराही तथा इस्लाम की परिधि (दायरा) से निकलना है। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

﴿إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشُّرْكِ تَرَكَ الصَّلَاةِ﴾. [أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه]

«आदमी के दरमियान तथा कुफ़्र व शिर्क के दरमियान बाधक (हद्दे

फ़ासिल) नमाज़ का छोड़ना है।» {इसे मुस्लिम ने अपनी सहीह में जाबिर
   से रिवायत किया है}

  एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.»

«वह (फ़र्क करने वाला) अ़हद व पैमान जो हमारे और उन
 (काफ़िरों) के दरमियान है, नमाज़ है। अतः जिसने नमाज़ छोड़ दी,
 वह यकीनन काफ़िर हो गया।»

नमाज़ की शान व अज़मत पर तथा पाबंदी के साथ उसकी
 अदायेगी के वाजिब होने, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ उसे कायम
 करने और उसके छोड़ने की मनाही पर आयतें और हदीसें बहुत
 ज़्यादा तथा मारूफ़ व मशहूर (बिदित व प्रसिद्ध) हैं।

अतः अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करते हुए तथा
 अल्लाह के ग़ज़ब और उसके दर्दनाक अज़ाब (कष्टजनक यातना) से
 डरते हुए हर मुसलमान पर वाजिब है कि निर्धारित समय (औक़ाते
 मुकऱरा) पर उसकी अदायेगी की पाबंदी करे, अल्लाह के हुक्म के
 मुताबिक़ उसे कायम करे और उसके घरों (मस्जिदों) में जमाअत के
 साथ अपने मुसलमान भाईओं के साथ उसे अदा करे।

जब हक़ (सत्य) ज़ाहिर तथा प्रकट हो जाये और उसकी दलीलें
 वाज़िह तथा स्पष्ट हो जायें तो किसी के लिए जायज़ नहीं कि वह
 किसी की राय तथा मत के कारण उससे मुँह मोड़े। क्योंकि अल्लाह
 तआला का फ़र्मान है:

﴿فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ५९]

“अगर तुम किसी चीज़ में इख़तिलाफ़ करो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ लौटाओ, अगर तुम्हें अल्लाह तआला और क़ियामत के दिन पर ईमान है, यह बहुत बेहतर है और अंजाम के एतिबार से भी बहुत अच्छा है।” {अन्निसा: ५६}

एक दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: १३]

“जो लोग रसूल के आदेश का विरोध करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर ज़बरदस्त आफ़त न आ पड़े या उन्हें कोई दर्दनाक अज़ाब न पहुँचे।” {अन्नूर: ६३}

किसी पर यह बात पोशीदा नहीं कि जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने के बहुत सारे फ़वाइद (लाभ) और बेशुमार मसलहतें (भलाईयाँ) हैं। सबसे वाज़िह तथा स्पष्ट फ़वाइद में से चंद यह हैं: एक दूसरे से जान पहचान, भलाई तथा तक्वा व परहेज़गारी के कामों पर परस्पर सहायता (बाहमी तआउन), हक़ बात की तलक़ीन व वसीयत तथा उस पर सब्र करने की नसीहत (उपदेश), पीछे रहने वालों की हिम्मत अफ़ज़ाई (प्रोत्साहन), नादानों की तालीम, मुनाफ़िकों को गुस्सा दिलाना और उनके तौर तरीक़े से दूर रहना, अल्लाह के बंदों के दरमियान उसके शआइर (प्रतीकों) को ज़ाहिर तथा प्रकट करना और कौल व अमल के ज़रीया उसकी तरफ़ दअ्वत देना वग़ैरा (कथन व कर्म द्वारा उसकी ओर आह्वान करना इत्यादि)।

अल्लाह तआला हमें और आपको उस चीज़ की तौफ़ीक़ (प्रेरणा) दे जिसमें उसकी रिज़ा व खुशनुदी (संतुष्टि) तथा दुनिया व आख़िरत की भलाई हो। और हम सभी को नफ़्सों की शरारतों तथा कर्मों की

बुराईयों से और काफ़िरों तथा मुनाफ़िकों की मुशाबहत (अनुरूपता) से बचा ले। बेशक वह बड़ा ही सख़ी और करीम (दानशील और उदार) है।

वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह (आप लोगों पर सलामती तथा अल्लाह की रहमत व बरकत नाज़िल हो।)

व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मदिव व आलिहि व सहबिह। (अल्लाह की रहमत और सलामती नाज़िल हो हमारे नबी मुहम्मद पर, और आपके आल व औलाद तथा आपके सहाबियों पर।)







गाने बजाने का हुक्म

रचना: सम्मानित शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (रहिमहुल्लाह)

निःसंदेह गाने सुनना हराम तथा मुंकर अम्र (गर्हित विषय) है। और यह दिलों की बीमारी, उनकी सख्ती, और अल्लाह की याद तथा नमाज़ से रोकने के अस्बाब (कारणों) में से है। अकसर अहले इल्म (अधिकांश विद्वानों) ने अल्लाह तआला के इस कौल की तपसीर:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمان: 6]

“और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लम्बे बातों को मोल लेते हैं।” [लुकमान: ६] गाने से की है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه क़सम खा कर कहते थे कि ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ से मुराद गाना बजाना है।

और अगर गाने के साथ कोई वाद्य यंत्र (बाजा) हो -जैसे सारंगी (Rebeck), बीन (Lute), चौतारा (Violin) और तबला (Drum) इत्यादि- तो उसकी हुरमत व मनाही ज़्यादा सख्त हो जाती है। कुछ उलमा ने उल्लेख किया है कि अगर गाने के साथ वाद्य यंत्र हो तो उसके हराम होने पर सब का इजमाअ व इत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मत सिद्धांत) है।

अतः इससे बचना तथा सतर्क रहना वाजिब है। सहीह हदीस में है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لِيَكُونَ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِيفَ»

«बेशक मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हूँगे जो ज़िना, रेशमी कपड़ा, शराब और गाने बजाने तथा वाद्य यंत्र को हलाल समझेंगे।»

मैं आपको और आपके अलावा दूसरे भाईओं को (सऊदी अरब के) रेडीयो सेंटर 'इज़ाअतुल कुरआनिल करीम' में प्रचार किया जाने वाला प्रोग्राम कुरआन की तिलावत और प्रोग्राम 'नूरुन अलहदरब' सुनने की नसीहत करता हूँ, क्योंकि इन दोनों प्रोग्रामों में अज़ीम फ़वाइद (बृहत लाभ) हैं, और गाने बजाने तथा म्यूज़िक आदि सुनने से बेनियाज़ (निःस्पृह) करने वाले हैं।

रही बात शादी की तो उस में रात के कुछ हिस्से में, सिर्फ़ औरतों के लिए, निकाह के एलान तथा जायज़ और नाजायज़ निकाह के दरमियान फ़र्क़ करने की गर्ज़ से, उन आ़ाम गानों के साथ जिनमें हराम चीज़ की तरफ़ आह्वान व दअवत न हो और न उनमें किसी हराम की तारीफ़ व प्रशंसा हो, तो दुफ़ (डफ़ली) बजाना जायज़ है। जैसाकि इस बारे में नबी ﷺ से सहीह हदीसों साबित हैं।

लेकिन शादी की महफ़िल में ढोल व तबला बजाना जायज़ नहीं है, अतः खुसूसन दुफ़ (विशेषकर डफ़ली) पर ही बस किया जायेगा। और निकाह के एलान की गर्ज़ से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना और उसमें आ़ाम गाने गाना जायज़ नहीं है। क्योंकि उसमें विशाल फ़ितना, भयानक परिणाम और मुसलमान भाईओं को तकलीफ़ पहुँचाना है।

इस प्रोग्राम को काफ़ी देर तक चलाना भी जायज़ नहीं है, बल्कि जितने कम समय में निकाह के एलान का मक़सद हासिल हो जाये उतने ही पर बस किया जायेगा। क्योंकि ज़्यादा देर तक इस प्रोग्राम के जारी रहने से फ़ज़्र की नमाज़ गोल होने तथा उसे उसके वक़्त में अदा करने से सोये रहने का ख़तरा है, और यह बृहत हराम विषयों तथा मुनाफ़िकों के कर्मों में से है।



यह हैं गाने बजाने के हराम होने पर सलफ़े सालिहीन (नेक पूर्वसूरीयों) -अल्लाह उनसे राज़ी हो- की उक्तियों से कुछ दलीलें:

- ☀ अबू बक्र सिद्दीक رضي الله عنه ने फ़रमाया: गाना और म्यूज़िक शैतान की बाँसुरी (Flute) है।
- ☀ इमाम मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: हमारे नज़दीक यह है कि गाने बजाने फ़ासिक़ (पापाचारी) लोग ही करते हैं। और शाफ़िईया (इमाम शाफ़िई की पैरवी करने वाले) गाने बजाने को बातिल तथा दुश्मनी के साथ तशबीह (उपमा) देते हैं।
- ☀ इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: गाना दिल में निफ़ाक़ (कपटता) जन्म देता है, अतः वह मुझे बिल्कुल नापसंद है।
- ☀ इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के पैरोकारों (अस्हाब) ने कहा: गाना सुनना फ़िस्क़ व फुजूर (दूराचार व पापाचार) है।
- ☀ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फ़रमाया: गाने की इबतिदा (आरंभ) शैतान की तरफ़ से होती है और उसका अंजाम व परिणाम रहमान (अल्लाह) का ग़ज़ब होता है।
- ☀ इमाम कुरतुबी ने फ़रमाया: गाना कुरआन व हदीस से मना है।
- ☀ इमाम इब्ने सलाह ने फ़रमाया: म्यूज़िक व बाजे (वाद्य यंत्र) के साथ गाना बिल्इत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मत रूप से) हराम है।



तस्वीर का हुकम

फ़त्वा: सम्मानित शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (रहिमहुल्लाह)

सवाल: तस्वीर जो समस्या बड़ी आ़ाम हो चुकी है और लोग उसकी दलदल में फँस गये हैं, उसके हुकम के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं?

जवाब: सब तारीफ़ व स्तुति अल्लाह के लिए है। दुरुद व सलाम हो उन पर जिनके बाद कोई नबी नहीं। अम्मा बाद (तत्पश्चात):

हदीस की किताबों (सिहाह, मसानीद और सुनन) में नबी ﷺ से बहुत सी हदीसों आई हैं, जो तमाम ज़ी रूह (प्राणी) -चाहे इंसान हो या कोई और- की तस्वीर उतारने की मनाही पर दलालत करती हैं। नबी ﷺ के लटकते पर्दों जिन में तस्वीरें बनी थीं के चाक करने का हुकम, तस्वीरों के मिटा डालने का आदेश, तस्वीर बनाने वालों पर लानत व अभिशाप तथा क़ियामत वाले दिन उनका सबसे ज़्यादा सख़्त अज़ाब में मुबतिला होना, यह सब तस्वीर उतारने की हुरमत व मनाही की दलीलें हैं।

अब मैं आपकी ख़िदमत में इस विषय के संबंध में कुछ सहीह हदीसों पेश कर रहा हूँ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلِيَخْلُقُوا دَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعْبِيرَةً». [متفق عليه، واللفظ لمسلم]

अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया: उस से बड़ा अत्याचारी कौन

होगा जो मेरे पैदा करने की तरह पैदा करने की कोशिश करता है, (अगर हो सके तो) एक ज़र्रा (कण), या एक दाना, या एक जौ ही पैदा करके दिखाए।» {बुख़ारी व मुस्लिम, हदीस के शब्द मुस्लिम के हैं}

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ». [متفق عليه]

अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «क़ियामत के दिन सब से सख़्त अज़ाब भोग करने वाले तस्वीर उतारने वाले लोग होंगे।» {बुख़ारी व मुस्लिम}

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». [متفق عليه، واللفظ للبخاري]

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «बेशक वह लोग जो यह तस्वीरें बनाते हैं क़ियामत के दिन उनको अज़ाब दिया जायेगा, उनसे कहा जायेगा: तुम ने जो तस्वीरें बनाई थीं उनको ज़िंदा करो।» {बुख़ारी व मुस्लिम, हदीस के शब्द बुख़ारी के हैं}

عَنْ أَبِي جَحْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَتَعْنِ أكل الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَالْوَأْشِمَةَ، وَالْمَسْتَوْشِمَةَ، وَالْمَصُورَ. [رواه البخاري]

अबू जुहैफ़ा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने खून की क़ीमत, कुत्ते की क़ीमत और बदकार औरत की कमाई से मना फ़रमाया है। और सूद खाने वाले तथा खिलाने वाले और गोदना गोदने तथा गोदवाने वाली तथा तस्वीर उतारने वालों पर लानत फ़रमाई है। {बुख़ारी}

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كَلَفَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ». [متفق عليه]

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुये सुना: «जिसने दुनिया में कोई तस्वीर बनाई, उसे क़ियामत वाले दिन मजबूर किया जायेगा कि वह उसमें रूह फूँके, जबकि वह रूह फूँकने पर कादिर (सक्षम) नहीं होगा।» {बुख़ारी व मुस्लिम}

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ
أَصَوَّرْتُ هَذِهِ الصُّورَ، فَأَقْتَنِي فِيهَا، فَقَالَ: اأَدْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: اأَدْنُ مِنِّي،
فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: أَنْبَأَكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: «كُلُّ مَصُورٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صُورَهَا نَفْسٌ تَعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ».
وَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَا بَدَ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرُ وَمَا لَا نَفْسَ فِيهِ. [متفق عليه]

सईद बिन अबुल हसन से रिवायत है, उन्होंने कहा: एक आदमी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास आया और कहा: मैं ऐसा आदमी हूँ जो यह तस्वीरें बनाता हूँ, आप मुझे इस बारे में फ़तवा दीजिये। उन्होंने कहा: मेरे क़रीब हो जायें, वह आपके क़रीब आये तो फिर फ़रमाया: ज़रा और क़रीब आइये, पस वह आप से इतना क़रीब आये कि आप ने उनके सर पर हाथ रख कर फ़रमाया: मैं तुम्हें वही बात बताता हूँ जो मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ से सुनी है। मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुये सुना: «हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नमी है। उसकी हर तस्वीर के बदले में जो उसने बनाई होगी एक शख्स बनाया जायेगा जो उसे जहन्नम में अज़ाब देगा।» इसके बाद इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फ़रमाया: अगर तुम्हें तस्वीर ज़रूर ही बनानी हो तो दरख़्त की और ऐसी चीज़ की तस्वीर बनाओ जिसमें रूह न हो। {बुख़ारी व मुस्लिम}





दाढ़ी मुंडाने का हुक्म

रचना: सम्मानित शैख़ मुहम्मद बिन सालिह अल-उसैमीन (रहिमहुल्लाह)

दाढ़ी मुंडाना हराम है, इस लिए कि इस में रसूलुल्लाह ﷺ की अवज्ञा व अबाध्यता (नाफ़रमानी) है। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«أَعْفُوا اللَّحَى وَحُفُوا الشَّوَارِبَ.»

«दाढ़ी को माफ़ कर दो (बढ़ाओ) और मोंछें काटो।»

और उसके हराम होने का एक कारण यह भी है कि यह रसूलों के तरीके (आदर्श) से निकल कर मजूस तथा मुशरिकों (अग्निपूजक तथा बहुत्ववादीयों) के तरीके को अपनाना है।

दाढ़ी की तारीफ़ (संज्ञा): अहले लुगत (अभिधायकों) ने कहा कि वह: चेहरे, दोनों जबड़े और दोनों गाल के बाल हैं। अर्थात हर वह बाल जो दोनों गाल, दोनों जबड़े तथा टोड़ी पर है वह दाढ़ी के अंतर्गत (कबील से) है।

अतः उन बालों में से कुछ लेना (काटना या मुंडाना) भी रसूलुल्लाह ﷺ की नाफ़रमानी में शामिल है, क्योंकि आप ﷺ ने मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ (विभिन्न शब्दों) में फ़रमाया:

«أَعْفُوا اللَّحَى...» «أَزْحُوا اللَّحَى...» «وَقُرُوا اللَّحَى...» «أَوْفُوا اللَّحَى...»

«दाढ़ी को माफ़ कर दो ---।» «दाढ़ी को लटका दो ---।»
«दाढ़ी बढ़ाओ ---।» «दाढ़ी को पूरा हक़ दो ---।» (इन सारे शब्दों का मतलब एक ही है, यानी: दाढ़ी को अपने हाल पर छोड़ दो।)

हदीस के इन तमाम अल्फ़ाज़ से स्पष्ट साबित होता है कि दाढ़ी में से कुछ लेना (काटना, मुंडाना, शेव तथा सेप-साइज़ करना प्रभृति) जायज़ नहीं है। लेकिन नाफ़रमानीयों के दर्जे मुख़्तलिफ़ हैं, पस मुंडाना उन में सब से बड़ी नाफ़रमानी है। क्योंकि इस में थोड़े मोड़े (अल्प स्वल्प) काटने की बनिस्बत (तुलना में) रसूलुल्लाह ﷺ की ज़्यादा घोर तथा स्पष्ट मुख़ालफ़त (विरोधिता) है।





मर्दों के लिए टखने से नीचे कपड़ा लटकाने का हुक्म

रचना: सम्मानित शैख़ मुहम्मद बिन सालिह अलुउसैमीन (रहिमहुल्लाह)

अगर तहबंद (लुंगी, पाजामा, शलवार, पैंट, पतलून आदि) गुरुर व तकब्बुर की ग़र्ज़ (दर्प व गर्व के उद्देश) से टख़ने से नीचे लटकाये, तो उसकी सज़ा यह है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआला न उसकी तरफ़ (रहमत की नज़र से यानी करुणा की दृष्टि से) देखेगा, न उससे बात करेगा और न उसे पाक-पवित्र करेगा, और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब (कष्टजनक शास्ति) होगा। और अगर गुरुर व घमंड की ग़र्ज़ से न लटकाये, तो उसकी सज़ा यह है कि जो हिस्सा टख़नों से नीचे होगा उसे आग से सज़ा दी जायेगी। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«ثَلَاثٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَرْكَبُهُمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، الْمُسْبِيلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ».

«तीन लोग ऐसे हैं जिन से अल्लाह तआला क़ियामत के दिन न बात करेगा, न उनकी तरफ़ (रहमत की दृष्टि) से देखेगा और न ही उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब (कष्टजनक शास्ति) होगा। (वह लोग हैं) अपने तहबंद को (टख़ने से नीचे) लटकाने वाला, इहसान जतलाने वाला और झूटी क़स्मों से अपना सामान बेचने वाला»

और एक दूसरी हदीस में नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

«जो शख़्स तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा ज़मीन पर घसीटता

हुआ चले, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसकी तरफ़ रहमत की निगाह (करुणा की दृष्टि) से नहीं देखेगा ۞

यह तो है उन लोगों के बारे में जो ग़ुरूर व घमंड से अपना कपड़ा धरती पर घसीटता हुआ चलते हैं।

रही बात उन लोगों की जिनका मक़सद (उद्देश) ग़ुरूर व तकब्बुर न हो, तो उनके बारे में सहीह बुख़ारी में अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी (वर्णित) है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبِيِّنَ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ.»

«तहबंद (वग़ैरा) का जो हिस्सा टख़नों से नीचे होगा, वह आग में होगा ۞»

इस हदीस में तकब्बुर के साथ कपड़े लटकाने की कैद नहीं लगाई गई है, और यह बात भी वाज़िह तथा स्पष्ट नहीं होती है कि साबिक हदीस को बुनियाद बना कर उसकी (यानी तकब्बुर के साथ कपड़े लटकाने की) कैद लगाई जाये। क्योंकि अबू सईद खुदरी رضي الله عنه की हदीस में आया है, वह फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نَصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ. أَوْ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُعْبِيِّنَ، وَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزْرَهُ بَطْرًا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.» [رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترميز (٨٨/٢)]

صحيحه، ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترميز (٨٨/٢)]

«मु‘मिन का तहबंद आधी पिंडली तक है, और कोई हर्ज नहीं ۞» या फ़रमाया: «कोई गुनाह नहीं अगर आधी पिंडली से टख़नों तक के दरमियान हो। और जो टख़नों से नीचे होगा, वह आग में होगा। और जो अपना तहबंद (वग़ैरा) तकब्बुर के तौर पर टख़नों से नीचे

घसीटता हुआ चलेगा, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसकी तरफ़ (रहमत की नज़र से) नहीं देखेगा ﴿ {इसे मालिक, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा और इब्ने हिब्बान ने अपनी सहीह में रिवायत किया है, तथा इसे किताब 'अत्तरगीब वत्तरहीब' में 'अत्तरगीबु फ़िलक़मीस' में उल्लेख किया है}

(उक्त दोनों प्रकार के लोगों की सज़ा में फ़र्क़ का सबब यह भी है कि) दोनों अमल अलग अलग हैं, इस लिए सज़ा भी अलग अलग है। और जब हुक्म और सबब मुख्तलिफ़ हों, तो मुतलक़ को मुक़य्यद पर महमूल करना जायज़ नहीं, क्योंकि इस से तनाकुज़ लाज़िम आता है।

(सहीह बुख़ारी में है कि अबू बक्र رضي الله عنه ने रसूलुल्लाह ﷺ से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे कपड़े का एक किनारा ज़रूर ही नीचे लटक जाता है, मगर यह कि मैं बहुत ज़्यादा उसका ख़याल रखूँ। तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उन से फ़रमाया: «तुम उन लोगों में से नहीं हो जो तकब्बुर के तौर पर ऐसा करते हैं ﴿»)

कुछ लोग अबू बक्र رضي الله عنه की उक्त हदीस को (बेग़ैर तकब्बुर की ग़र्ज़ से टख़ने से नीचे कपड़ा लटकाने के जवाज़ (वैधता) पर तथा इसकी वजह से सज़ा न दिये जाने पर) हुज्जत व दलील बना कर पेश करते हैं। तो हम उन से कहेंगे कि इस में आपके लिए कोई हुज्जत (दलील) नहीं है। और इसकी दो वजह (कारण) हैं:

पहली वजह: अबू बक्र رضي الله عنه ने फ़रमाया:

«إِنَّ أَحَدًا شَقِيٌّ تَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أْتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ.»

«मेरे कपड़े का एक किनारा ज़रूर ही नीचे लटक जाता है, मगर यह कि मैं बहुत ज़्यादा उसका ख़याल रखूँ ﴿»

पता चला कि अबू बक्र رضي الله عنه गुरुर व घमंड से अपना कपड़ा नहीं लटकाते थे, बल्कि वह खुद से लटक जाता था, इसके बावजूद नीचे न लटकने का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। अतः वह लोग जो टख़ने से नीचे लटकाते हैं, और यह गुमान करते हैं कि वे बग़ैर तकब्बुर की नियत के जानबूझ कर अपने कपड़े लटकाते हैं, तो हम उन से कहेंगे कि अगर आप बग़ैर तकब्बुर की नियत के जानबूझ कर अपने कपड़ों को टख़नों से नीचे लटकाते हैं, तो आपको सिर्फ़ टख़नों से नीचे लटकाने की जगह पर अज़ाब होगा। और अगर आप फ़ख़्र व गर्व के साथ धरती पर अपने कपड़े घसीट कर चलते हैं, तो आपको इस से बड़ा अज़ाब दिया जायेगा, यानी: अल्लाह तआला क़ियामत के दिन आप से न बात करेगा, न आपकी तरफ़ (रहमत की दृष्टि) से देखेगा और न ही आपको पाक करेगा, और आपके लिए दर्दनाक अज़ाब (कष्टजनक शास्ति) होगा।

दूसरी वजह: नबी ﷺ ने अबू बक्र رضي الله عنه का तज़किया फ़रमाते हुये (को पवित्र तथा निर्दोष करार देते हुये) गवाही दी कि वह उन लोगों में से नहीं हैं जो तकब्बुर के तौर पर ऐसा करते हैं। तो क्या इन लोगों में से कोई है जिसे नबी ﷺ की तरफ़ से यह तज़किया तथा सर्टीफ़ीकट मिला हो? लेकिन शैतान कुछ लोगों के लिए कुरआन व हदीस की बातों में से मुतशाबिह उमूर (रूपक विषयों) के पीछे लगने का द्वार खोल देता है, ताकि उनके लिए उनके आमाल (कर्मों) के जायज़ होने की सूरत (वजहे जवाज़) पैदा कर दे। अल्लाह तआला ही जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है।





धूम्रपान (बीड़ी तथा सिगरेट आदि पीने) का हुक्म

फ़त्वा: सम्मानित शैख़ मुहम्मद बिन सालिह अल-उसैमीन (रहिमहुल्लाह) सम्मानित शैख़ से गुज़ारिश है कि दलीलों की रोशनी में हुक्का तथा सिगरेट पीने का हुक्म बयान करें।

जवाब: हुक्का तथा सिगरेट पीना हराम है, इसकी दलीलें यह हैं। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: २९]

“और तुम अपने आपको हत्या न करो, निश्चय अल्लाह तुम पर कृपालु है।” {अन्निसा: २६}

अल्लाह तआला ने दूसरी जगह फ़रमाया:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: १९०]

“और तुम अपने हाथों हलाकत व तबाही में न पड़ो।” {अलबकरा: १६५}

तिब्ब (चिकित्साशास्त्र) से यह बात साबित हो चुकी है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नुकसान देह (हानिकारक) है, और जब वह हानिकारक है, तो हराम है।

दूसरी दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान है:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ [النساء: ५]

“बेअक्लों (बुद्धिहीनों) को अपना माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारा सहारा बनाया है न दो।” {अन्निसा: ५}

इस आयत में अल्लाह तआला ने हमें नादानों तथा बेअक़्तों को अपना माल देने से मना फ़रमाया है, क्योंकि वह उस में फुजूल ख़र्ची करेंगे तथा उसे बरबाद कर डालेंगे। और इस में कोई शक नहीं कि बीड़ी व सिगरेट तथा हुक्का ख़रीदने में माल ख़र्च करना फुजूल ख़र्ची और उसे बरबाद करना है। अतः वह (धूम्रपान तथा हुक्का नोशी आदि) इस आयत की रोशनी में भी हराम है।

हदीस से दलील: रसूलुल्लाह ﷺ ने माल नष्ट तथा बरबाद करने से मना फ़रमाया है। और एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا ضَرَرًا وَلَا ضِرَارًا.»

«किसी को नुक़सान पहुँचाना जायज़ नहीं, न प्राथमिक रूप से न मुक़ाबला करते हुए।»

(और इस में कोई शक नहीं कि) इन चीज़ों का इस्तेमाल क्षति तथा नुक़सान से ख़ाली नहीं। इसी तरह यह चीज़ें इंसान को अपना गिरवीदा (आसक्त) बना लेती हैं, जब यह उसे न मिले तो उसका सीना कुढ़ता है तथा दुनिया उस पर तंग हो जाती है। अतः उस ने अपने आपको ऐसी चीज़ों का आसक्त बना लिया जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं थी।



दिली नसीहत व पैग़ाम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हर ग़ैरतमंद बाप के नाम

नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أُمَّتُهُ.»

«अल्लाह से बड़ कर ग़ैरतमंद कोई नहीं, उसका बंदा ज़िना करे या उसकी बंदी ज़िना करे ॥»

और निःसंदेह सारे इंसान उसके बंदे तथा उसकी बंदियाँ हैं।
अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

«اتَّعَجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَغَارُ، وَمَنْ أَجَلِّ غَيْرَتَهُ حَرَمَ الْفُؤَادِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ.»

«क्या तुम सअद की ग़ैरत पर तअज्जुब करते (आश्चर्य होते) हो? बेशक मैं उस से ज़्यादा ग़ैरतमंद हूँ, और अल्लाह तअलाला मुझ से ज़्यादा ग़ैरतमंद है। पस अल्लाह तअलाला को ग़ैरत आती है, और ग़ैरत ही के कारण उस ने सभी प्रकाश्य तथा अप्रकाश्य अश्लील विषयों (तमाम ज़ाहिरी और बातिनी फुहश बातों) को हाराम किया है ॥»

ग़ैरत: खुददारी, आत्म सम्मान, हाराम कर्दा (निषिद्ध) चीज़ों पर गुस्सा और खेलवाड़ों के हाथों से तथा बुरी नज़र वालों की नज़रों से उनकी हिफ़ाज़त करने का नाम है। और जिस शख्स में ग़ैरत न हो तो वह ऐसा दय्यूस (बेग़ैरत) है जो अपने परिवार में ख़बासत व बुराई देख कर ख़ामोश रहता है, और उसके बारे में हदीस में आया है कि वह जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा।

निःसंदेह सारे मु'मिन व मुत्तकी (विश्वासी व संयमी) अपनी बीवीयों तथा बेटीयों और अपने सभी रिश्तादारों पर ग़ैरतमंद होते हैं। और उनकी इस ग़ैरत के आसार (लक्षणों) में से यह है कि वह उनकी निगरानी तथा उनकी ख़बरगिरी (देखरेख) करते रहते हैं, उन्हें मर्दों के साथ संमिश्रण व समागम (इख़्तिलात) से रोकते हैं, और उन मजलिसों तथा समावेशों से भी बाधा प्रदान करते हैं जिन में भीड़-भाड़ होती है तथा ऐसा जमघट होता है कि शरीर शरीर से रगड़ते और चिपकते हैं। विशेषकर इन जगहों में बुरे दिल वालों तथा बद मिज़ाजों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उन में ज़्यादा हँसी मज़ाक, छेड़खानी, इशकिया गुफ़्तगू और गिरी हुई बातें हुआ करती हैं, जो ख़ाहिशात (मनोच्छाओं) को भड़काने और कमज़ोर ईमान वाले नफ़्सों को जुर्म व अपराध तथा फुहश व बदकारी करने का सबब बनती हैं।

इन बाज़ारों तथा मार्केटों में इग़वा (अपहरण) के कितने हादसे पेश आते हैं! मुलाकात के लिए कितने वादे दिये जाते हैं! कितनी स्पष्ट व अस्पष्ट बातें तथा गुफ़्तगू होती हैं! और गार्जेनों तथा अभिभावकों का हाल यह है कि वह ग़फ़लत की नींद सोये हुये अपने आधीनों के संबंध में सुधारणा पोषण करते हैं (यानी अपने मातहतों के बारे में हुस्ने ज़न रखते हैं), और हुये घटनाओं के बारे में ज़री बराबर भी उनको ख़बर नहीं होती है।

एक दूरन्देश (दूरदर्शी) ग़ैरतमंद शख्स की यह ज़िम्मादारी है कि वह सदा सर्वदा अपने महारिम (जैसे माँ, बहन, बेटी, बीवी वगैरा) के साथ रह कर उनकी निगरानी तथा उनकी हिफ़ाज़त करे। उन्हें बिगाड़ के सारे अस्बाब व माध्यमों से बाज़ (विरत) रखे। नकेड फ़िल्में और फ़िल्ना अंगेज़ (उत्तेजक) तस्वीरें देखने से उन्हें रोके। उन्हें बाधा प्रदान

करे ऐसे निर्लज्ज (बेहया) गानों के सुनने से जो शहवत (मनोस्कामना) को उभारते तथा आत्माओं को हराम की तरफ़ ढकेलते हैं।

इसी तरह उसका फ़र्ज़ है कि वह बाज़ारों, अस्पतालों, -घर से स्कूल के क्लास रूम पहुँचने तक- रास्तों में अपने महारिम के साथ रहे। अनुरूप उनके घरों से निकल कर बसों में बैठने तक, शादी हालों, आवासों तथा आ़ाम निवासों इत्यादि में उनके साथ रहे। ताकि वह उन पर हमला तथा छेड़ छड़ किये जाने से मुतमइन हो जाये, और उनकी रहम दिली तथा नरम लहजे में मीठी मीठी बात करने (के कारण दूसरों के चंगुल में फँसने) से निश्चिंत हो जाये। क्योंकि वह कोमल प्रकृति (नर्म मिज़ाज) और क़वी शहवत (तीव्र भोगेच्छा) का शिकार होती हैं जब वह मर्दों को देखती हैं या शहवत को भड़काने वाली कुछ बातें सुनती हैं तो उनकी दिफ़ाई सलाहियत कमज़ोर होने से मामून (प्रतिरोध क्षमता दुर्वल होने से बेख़ौफ़) नहीं होतीं।

इस लिए विशेषकर इस पुर फ़ितन दौर में जहाँ चारों तरफ़ बिगाड़ ही बिगाड़ है तथा अंदरूनी व बाहरी (दाख़िली व ख़ारिजी) शहवात व ख़ाहिशात को मुहय्या करने वाले और फ़रोग़ देने वाले अस्वाब व वसायेल मौजूद हैं, जिम्मेदारों पर अपने आधीनों की पूरी निगरानी और मुकम्मल हिफ़ाज़त आवश्यक तथा ज़रूरी है। इसी तरह अपने बच्चे तथा बच्चीयों को पवित्र व सच्चरित्र (पाक दामन) बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यह उनके दिलों को हराम की तरफ़ मायेल (अग्रसर) होने अथवा नपस को पाप या फ़ुहश काम करने पर उभारने वाली चीज़ देख कर या सुन कर उसकी तमन्ना करने से रोकता है। और पाप व फ़ुहश अल्लाह की नाराज़गी, उसकी ग़ैरत और लोगों पर ख़ास व आ़ाम सज़ा उतारने का सबब है। क्योंकि जिना का आ़ाम होना हदीस के

अनुसार सख्त बीमारियों के ज़्यादा होने और लोगों के ख़ैर व वुसअत से महरूम (कल्याण व प्रशस्तता से वंचित) होने के अस्बाब में से है। अल्लाह तअ़ाला ही की ज़ात है जिस से मदद तलब की जायेगी। और मुहम्मद तथा उनके आल व औलाद पर अल्लाह तअ़ाला की रहमत व सलामती नाज़िल हो।

लेखक

अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान अल्जिबरीन

समाप्त





IslamHouse.com

f Hindi.IslamHouse @IslamHouseHi IslamHouseHi https://islamhouse.com/hi/
IslamHouseHi

For more details visit
www.GuideToIslam.com



contact us :Books@guidetoislam.com

f Guidetoislam.org @Guidetoislam1 Guidetoislam www.Guidetoislam.com



المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: +٩٦٦١١٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

नबी ﷺ की नमाज़ का तरीका

इस किताब में है: ♦ तवबीर से सलाम तक नमाज़ का तरीका ♦ नमाज़ के अरकान, उसके वाजिबात और उसकी सुन्नतें ♦ मर्दों पर जमाअत के नमाज़ पढ़ना वाजिब है ♦ गाने बजाने, तस्वीर कशी, दाढ़ी मुंडाने, टख्नों के नीचे कपड़ा लटकाने और बीड़ी-सिगरेट पीने का विधान।

IslamHouse.com



دارالعلوم
Deoband
www.darululoom.com

